

ANNEXURE 3.3

कार्यालय - नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा

पत्रांक- 377 / लेखा / न. नि. म. इ. / 2017-18
कायादेश

दिनांक- 29/11/18

श्री मनीष पाण्डेय एडवोकेट एसोसियेट्स,
नोएडा/ गाजियाबाद

नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के अन्तर्गत तत्कालीन नगर पालिका परिषद मथुरा एवं वृन्दावन की निविदा में उल्लिखित अवधि की बैलेंस शीट, बैंक समाधान विवरण तथा अन्य कार्यों को सम्पादित किये जाने हेतु आमंत्रित निविदा में आपके द्वारा प्रस्तुत दर न्यूनतम होने के दृष्टिगत नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 16.01.2018 को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

अतः उक्त स्वीकृति के अनुपालन में दिनांक 19.01.2018 को नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के साथ स्थापित अनुबन्ध में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप कार्य निष्पादित करना सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी

नगर निगम मथुरा-वृन्दावन

प्रतिलिपि:- नगर आयुक्त महोदय, को अवलोकनार्थ प्रेषित।

लेखाधिकारी

नगर निगम मथुरा-वृन्दावन

10/02/2018

CA Appointment Agreement. FY : 2016 -17 & 2017-18



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DY 673909

अनुबन्ध पत्र

नियुक्त नगर निगम मथुरा वृन्दावन में बैंक समाधान विवरण तथा ई-टीडीएफ का हस्तगत दायित्व बैलेंस शीट तैयार किये जाने हेतु सीओएफ फर्म को चयन के सम्बन्ध में प्रथम-प्ला नगर निगम मथुरा-वृन्दावन एवं द्वितीय प्ला - सीओएफ फर्म श्री मनीष पाण्डेय एडवोकेट्स के मध्य दिनांक 19.01.2018 को अनुबन्ध निम्न शर्तों के अधीन सम्पादित किया गया -

1. सीओएफ फर्म श्री मनीष पाण्डेय एडवोकेट्स द्वारा नगर पालिका परिषद वृन्दावन की दिनांक 01.04.2012 की Opening Balance Sheet एवं वर्ष 2012-13 से 2017-18 (12.06.2017 तक) की बैलेंस शीट तथा बैंक समाधान विवरण एवं तत्कालीन नगर पालिका परिषद मथुरा का वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 (12.06.2017 तक) की बैलेंस शीट तथा नगर निगम मथुरा-वृन्दावन का गठन होने के उपरान्त दिनांक 13.06.2017 से 31.03.2017 तक की संयुक्त बैलेंस शीट तथा बैंक समाधान विवरण शर्तों से उल्लिखित अन्य लेखा कार्य सम्पादन किया जायेगा।
2. उक्त कार्य कार्यादेश जारी होने के दिनांक से 8 माह के अन्दर पूर्ण करना होगा।
3. सीओएफ फर्म को नगर पालिका परिषद मथुरा एवं नगर पालिका परिषद वृन्दावन के लेखागणितियों की डाटा फीडिंग का कार्य उक्त पालिकाओं के कार्यालयों पर उपस्थिति रहकर करना होगा।
4. निर्धारित कार्यों के समयबद्ध एवं गुणवत्ता युक्त सम्पादन हेतु फर्म को निगम में दो सुयोग्य एवं कुशल पूर्ण कालिक स्टाफ एवं पर्यवेक्षण हेतु सप्ताह में कम से कम दो दिन एक अनुभवी चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स तैनात करना होगा।
5. वार्षिक माह बीडआरएफ तथा ई-टीडीएफ तथा जीओएफओ का कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण करना तथा निगमानुसार त्रैमासिक अक्षर पर दो प्रतिशतों में आयकर का फार्म 16 ए तथा वार्षिक अक्षर पर फार्म 16, उपलब्ध करना होगा।
6. बीडआरएफ तैयार करने हेतु जिस अवधि का बैंक स्टेटमेंट लेखा कार्यालय में उपलब्ध नहीं होगा, सीओएफ फर्म द्वारा बैंक से लिया जायेगा।
7. बैंक समाधान विवरण तैयार होने के परवात् सम्बन्धित फैस बुकों में समाधान प्रविष्टियाँ कराये का कार्य सीओएफ फर्म द्वारा किया जायेगा।

For Manish Pandey & Associates

लेखाधिकारी

Partner

Scanned with CamScanner

8. को आय-व्यय की विभिन्न नियतकालिक एवं समय-समय पर आवश्यक मूल्यांकनों को तैयार प्रस्तुत करना होगा।
9. सीओएफ फर्म को बैंकलॉग कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान कार्य की पूर्णता के अभाव पर किया जायेगा। उक्त अवधि के डाटा फीडिंग के उपरान्त स्वीकृत धनराशि का 20 प्रतिशत, दायित्व बैलेंस शीट तैयार करने पर 40 प्रतिशत तथा अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने पर 20 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा। बैंकलॉग कार्य पूर्ण होने जाने के उपरान्त फर्म का उक्त कार्यों हेतु धनराशि ₹ 2,40,000/- (2) मासिक आधार पर कार्य सत्यापनोपरान्त भुगतान किया जायेगा।
10. वर्तमान में देय शासकीय करों की दरों एवं भविष्य में परिवर्तित दरों की देयता का अनुमान दोनों पक्षों को स्वीकार होगा।
11. सीओएफ फर्म द्वारा उक्त कार्य सतोषजनक रूप से सम्पादित किये जाने की स्थिति में उपयुक्त की सहमति से सहमत दरों पर अनुबन्ध को आगामी वर्षों के लिये पुनर्नवीकृत किया जा सकता है।

हस्ताक्षर प्रथम प्ला
नगर निगम मथुरा-वृन्दावन
नगर निगम मथुरा-वृन्दावन

For Manish Pandey & Associate

हस्ताक्षर द्वितीय प्ला
मनीष पाण्डेय एडवोकेट्स
Partner

Scanned with CamScanner